


(मैनुअल-3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-

निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण एवं उत्तर दायित्व का माध्यम:-



लोक निर्माण विभाग संहिता खण्ड-1 तथा खण्ड-2 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में कृत्यों का निर्वाहन किया जाता है।